

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर
नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या-ई- 3572 /2020

दिनांक 09 जुलाई, 2020

विज्ञापन संख्या-01/2020, दिनांक 03 फरवरी, 2020 के माध्यम से कुलपति की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे, परन्तु आवेदकों में से किसी को कुलपति पद पर नियुक्त किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, जो कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध अथवा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तथा जीवनवृत्त (02 प्रतियों में) अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ-226027 (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 20 जुलाई, 2020 तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से अथवा ऑन लाइन प्रेषित कर सकते हैं। पोस्ट से प्रेषित लिफाफे पर "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति पद के लिए आवेदन" अवश्य लिखा जाये।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव
श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF
VICE CHANCELLOR FOR THE KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW (U.P.)**

Advt. No. E- 3572 /2020

Dated 09 July, 2020

Application were invited by the Advertisement No. 01/2020 dated 03 February, 2020, however any of the applicants has not be found suitable for appointment as Vice Chancellor.


It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for The King George's Medical University, Lucknow (U.P.), established under The King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 16(1) of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for the appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/ She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of medical relief, medical research or medical education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his application in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" along with bio-data (in two copies) to the Additional Chief Secretary to the Governor, Rajbhavan, Lucknow- 226027 (Uttar Pradesh) on or before **20 July, 2020** either by Registered/ Speed Post or Online. "**Application for the post of Vice-Chancellor, The King George's Medical University, Lucknow (U.P.)**" should be super-scribed on the envelope, if sent by post.

Application received after the prescribed date shall not be considered.


Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh